फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग वित्तीय वर्ष 2018-19 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग
1	2	3	4	5	6
2041 00 800 03 00 2041-वाहनकर-00-800-अन्य व्यय-03-स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	14.67	11.00	11.00	11.00	3.67
योग-	**14.67**	**11.00**	**11.00**	**11.00**	**3.67**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2041 00 800 03 00 2041-वाहन कर-00-800-अन्य व्यय-03-स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेन्ट अधिष्ठान-38-अन्तरिम सहायता	00	11.00	11.00	11.00	11.00
योग -	**00**	**11.00**	**11.00**	**11.00**	**11.00**

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है :-

श्री अतुल कुमार गुप्ता वर्तमान अध्यक्ष राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण व तत्कालीन अध्यक्ष श्री इफाकत अली खां के वतेन एरियर भुगतान हेतु रू0 11.00 लाख की आवश्यकता अनुमानित है। अत: लेखाशीर्ष-2041-वाहनकर-00-800-अन्य व्यय-03-स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) मद में रू0 11.00 लाख की बचत संभावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

श्री अतुल कुमार गुप्ता वर्तमान अध्यक्ष राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण व तत्कालीन अध्यक्ष श्री इफाकत अली खां के वतेन एरियर भुगतान हेतु रू0 11.00 लाख की आवश्यकता अनुमानित है। अत: लेखाशीर्ष-2041-वाहन कर-00-800-अन्य व्यय-03-स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान-38-अन्तरिम सहायता में रू0 11.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता अनुमानित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर.ई. 109/ई-9-यू0ओ0-728/दस-2015, दिनॉक 01 अक्टूबर, 2018

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(संजय कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या-134/2018/3006(1) /तीस-3-2018-6बी/2014, दिनॉक 04 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।